3. **लाभ चित्रण:** मानक जीवन पूर्वधारणा पर आधारित आपका अनुकूलित लाभ चित्रण इस प्रलेख के साथ संलग्न है.

4. **विशेष परिस्थियों में जब्ती:** यदि इसमें समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्विक जानकारी छिपाई गई है तो ऐसे प्रत्येक मामले में किन्तु बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की लागू हो सकने वाली व्यवस्थाओं के अधीन यह पॉलिसी अवैध होगी और इसमें सम्बन्धित किसी भी हितलाभ के लिए समस्त दावे तुरंत अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान द्वारा बंद/समाप्त हो जाएँगे.

5. **वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ नियम और शर्तों संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय हैं.

6. **दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:** पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय साधारण दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता की ओर से NEFT आदेश पत्र, मृत्यु का प्रमाण,मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार, स्कुल / कॉलेज / नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

   जब परिपक्वता लाभ या उत्तरजीविता लाभ का भुगतान या पहले अभ्यर्पण नहीं हुआ जहाँ पॉलिसी पूर्णावधि दावे में परिवर्तित होती है या पॉलिसी के अभ्यर्पण की दशा में, बीमित व्यक्ति द्वारा आयु प्रमाण-पत्र, अगर आयु पहले स्वीकृत नहीं हुई है, के साथ विमुक्ति पत्र और मूल पॉलिसी प्रलेख, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता की ओर से NEFT आदेश पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.

7. **आत्महत्या:** यदि बीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रदत्त एकल प्रीमियमों के 90% को छोड़ कर,जिसमें कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम शामिल नहीं है.

8. **कर:** कर सेवाकर सहित, यदि कोई हो, कर कानून के अनुसार होगा और कर की दर प्रचलित दर पर लागू होगी.

   प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि पॉलिसी धारक द्वारा एकल प्रीमियमों पर देय होगी, जिनमें अतिरिक्त प्रीमियमें शामिल हैं, यदि कोई हो. प्रदत्त कर की राशि प्रीमियम के हिस्से के रुप में योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

भाग जी

वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर उसे लेने की तिथि से दो वर्ष बाद किसी बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जाएगी कि बीमे के लिए प्रस्ताव में या चिकित्सा अधिकारी या मध्यस्थ या बीमित व्यक्ति के मित्र की किसी रिपोर्ट में या किसी अन्य प्रलेख में दिया गया कोई वक्तव्य, जिसके आधार पर वह पॉलिसी जारी की गई हो, ग़लत या मिथ्या था जब तक बीमाकर्ता यह सिध्द न कर दें कि वह वक्तव्य किसी तात्विक मामले पर था या ऐसे तथ्यों को छिपाया गया था जिन्हें प्रकट करना तात्विक था और पॉलिसीधारक ने ऐसा छलपूर्वक किया था और वह वक्तव्य देते समय पॉलिसीधारक अवगत था कि वह झूठा है या उसमें ऐसे तथ्यों को छिपाया गया है जिन्हें प्रकट करना तात्विक था.

परंतु इस धारा के प्रावधान बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगने से वंचित नहीं करते, यदि उसे ऐसा करने का हक़ हो और केवल इस आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि किसी पॉलिसी पर आपत्ति उठाई गई है कि प्रस्ताव में बताई गई बीमित व्यक्ति की आयु ग़लत होने का प्रमाण मिलने पर बाद में पॉलिसी की शर्तों में परिवर्तन किया गया है.

शिकायत निवारण प्रणाली :

निगम के पास ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए शाखा / मंण्डल / क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी हैं. ग्राहकों की शिकायतों के तेज निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक हितैषी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसमें पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी फरियाद / शिकायत सीधे पंजीकृत करवा सकता / सकती है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता / सकती है. किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई-मेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं.

मृत्यु दावा परित्याग के निर्णय से असंतुष्ट दावेदार के पास अपने दावे को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा मतभेद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा मतभेद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प है. इन दोनों दावा मतभेद निवारण समितियों के सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश हैं. दावों संबंधी शिकायतो के निवारण के लिए, दावेदार ग्राहकों को कम कीमत पर और तेज फैसले प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल को भी मिल सकते हैं.

3. **Benefit Illustration:** Your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.

4. **Forfeiture in Certain Events:** In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case but subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, wherever applicable, this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall cease immediately by paying the surrender value.

5. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

6. **Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death, school/ college/ employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

   When maturity benefit or survival benefits falls due or on earlier surrender, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

7. **Suicide:** The policy shall be void if the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk and the Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 90% of the single premium paid excluding taxes and any extra premium paid.

8. **Tax:** Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

   The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on the single premium including extra premium, if any. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

Part G

STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act, 1938:

No policy of life insurance shall after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the policyholder and that the policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which it was material to disclose.

Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life assured was incorrectly stated in the proposal.

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsmen who are appointed by Government of India for providing low cost and speedy arbitration to customers.

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

टिप्पणी: यदि आपको कोई शिकायत / परेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी /लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है.
NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शिकायत निराकरण अधिकारी का पता Address of Grievance Redressal Officer	लोकपाल का पता Address of Insurance Ombudsman	शाखा कार्यालय का पता Address of Branch Office

टिप्पणी: इन निबंधनों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों /शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेज़ी भाष्य विधिमान्य होगा.
NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई ग़लती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

एल आई सी का जीवन शगुन (लाभ सहित योजना)

LIC's JEEVAN SHAGUN (WITH PROFITS)

LIC's JEEVAN SHAGUN
UIN: 512N290V01
Plan No. 826

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भाग ए

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसके बाद निगम कहा जाएगा) यहाँ नीचे संदर्भित अनुसूची में प्रस्तावक और उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और एकल प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा में शामिल एवं संदर्भित विवरणों को इस बीमे का आधार मानते हुए इस पॉलिसी द्वारा संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निगम के उस शाखा कार्यालय में जहां यह पॉलिसी सेवित है बिना ब्याज के हितलाभ का भुगतान करने में सहमत है जबकि निगम की संतुष्टी के अनुसार इस पॉलिसी में उल्लिखित हितलाभ उन व्यक्ति या व्यक्तियों को जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, देय हो जाते हैं तथा प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सत्य हो यदि उसका सत्यापन पहले न किया गया हो.
और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठभाग पर अंकित परिभाषाएँ, लाभ, सेवा कार्य पहलुओं से संबंधित शर्तें, अन्य नियम एवं शर्तें और वैधानिक प्रावधान के आधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जाएँगे.

Part A

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with the Declaration and single premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced, to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this policy, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.
And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मंडल कार्यालय: DIVISIONAL OFFICE: **अनुसूची SCHEDULE** **शाखा कार्यालय: BRANCH OFFICE:**

पॉलिसी सं.: Policy No.: पॉलिसी आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Policy: जोखिम आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Risk: योजना एवं पॉलिसी अवधि: Plan & Policy Term: परिपक्वता की तिथि: Date of Maturity:	मूल बीमित राशि (₹) Basic Sum Assured (₹): परिपक्वता बीमित राशि (₹) Maturity Sum Assured (₹):	सारिणीबद्ध एकल प्रीमियम (₹) Tabular Single premium (₹): भुगतान किया हुआ एकल प्रीमियम (₹) Single Premium paid (₹):	बीमाधारक की जन्मतिथि: Date of Birth of Life Assured: बीमित व्यक्ति की आयु: Age of the Life Assured: क्या आयु स्वीकृत है ? Whether Age Admitted?

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामिती का नाम: Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938: नामिती अवयस्क हो तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If Nominee is a minor, the name of the Appointee:	प्रस्ताव सं.: Proposal No.: प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal: लाभ चित्रण संदर्भ क्रं.: Benefit Illustration Reference No.:
प्रस्तावक का नाम और पता: / Name and address of Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता / Name and address of Life Assured

लाभार्थी जिसे लाभ देय Beneficiary to whom Benefits payable	प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उसके समनुदेशिति या बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उसके नामिती या उन प्रामाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जिन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधी होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा, के रूप में लागू होगा. The proposer or the Life Assured or his Assignee under section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया जा रहा है और जिसे इस पॉलिसी से संबंधित समस्त पत्राचार संबोधित किया जाए.

Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक : / Date :

द्वारा जांच: / Examined by :

प्लान क्र.: / Plan No.: **कृते प्रमुख /वरिष्ठ /शाखा प्रबन्धक / p.Chief/Sr./Branch Manager**

एजेंसी कोड **Agency Code**	एजेंट का नाम **Agency Name**	एजेंट का मोबाईल नंबर /लैंडलाइन नंबर **Agent's Mobile Number/Landline Number**